भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 4215

दिनांक 18.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति

4215. श्री अनुभव मोहंतीः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मात्र 18 प्रतिशत परिवारों को ही पाइप द्वारा पेयजल प्राप्त हो पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को 2024 तक पाइप द्वारा पेयजल प्रदान करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों से सामंजस्य बनाकर योजनाएं लाने पर विचार कर रही है; और
(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ओडिशा राज्य सरकार के साथ किस प्रकार सामंजस्य बनाएगी और यह योजना कब तक शुरू हो सकती है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में कुल 17.87 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 3.27 करोड़ (अर्थात 18.33%) ग्रामीण परिवार, नल कनेक्शन से पेयजल प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जैसा कि केन्द्रीय बजट भाषण 2019-20 में घोषणा की गई थी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जलापूर्ति सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत यह कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और कृषि में पुनः उपयोग किए जाने हेतु घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे स्रोत स्थायित्व के लिए स्थानीय आधारभूत अवसंरचना के निर्माण सहित स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग एवं आपूर्ति पक्ष के प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करेगा। **जल जीवन मिशन** देश भर में स्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ओडिशा राज्य सहित अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी स्कीमों के साथ तालमेल करेगा।